

पत्रांक-10/स्थापना व्यय आ0-27/2025.....47/37 रा0
झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

प्रेषक,

चन्द्रशेखर,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

उपायुक्त,
गढ़वा एवं दुमका।

विषय :-

स्थापना व्यय मुख्य शीर्ष-2029-भू-राजस्व, लघु शीर्ष-101-संग्रहण प्रभार, उपशीर्ष-01-मानकी, मुण्डा, डाकुआ, प्रधान, ठीकेदार के लिए सम्मान के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में व्यय हेतु मानदेय इकाई विपत्र कोड-40S20290010101000109 में कुल ₹9,05,84,000/- (रूपये नौ करोड़ पाँच लाख चौरासी हजार) मात्र का आवंटन।

राँची, दिनांक-23-07-2025

महाशय,

विषयांकित शीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में समाहरणालय, गढ़वा के पत्रांक-619, दिनांक-05.06.2025 एवं उपायुक्त, दुमका के पत्रांक-18.06.2025 द्वारा प्राप्त अधियाचना के आलोक में मानकी, ग्राम प्रधान, मुण्डा, डाकुआ, परगणैत, पराणिक, जोगमांझी, कुड़ाम नायकी, नायकी, गोड़ैत, मूल रैयत, पड़हा राजा, ग्राम सभा का प्रधान, घटवाल, तावेदार, मांझी हड़ाम एवं दिउरी (पुजारी) को सम्मान राशि प्रदान करने हेतु निम्न प्रकार राशि आवंटित की जाती है -

जिला का नाम	गढ़वा	दुमका	कुल
DDO Code	GRHLDR 003	DMK DAD 047	
आवंटित राशि	5,84,000	9,00,00,000	9,05,84,000

2. इस राशि का ऑन लाईन आवंटन भी दिया गया है।
3. विभागीय संकल्प संख्या-4654/रा0, दिनांक-22.11.2018, विभागीय संकल्प संख्या-1208/रा0, दिनांक-07.04.2022 तथा विभागीय संकल्प संख्या-3963/रा0, दिनांक-12.12.2023 तथा विभागीय संकल्प संख्या-2651, दिनांक-16.08.2024 के अनुसार सम्मान राशि का भुगतान किये जाने हेतु यह आवंटन दिया गया है।
4. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561/वि0(2) दिनांक-17.04.1998, 322/वि., दिनांक-28.01.2002, 1800/वि., दिनांक-15.07.2003, 338/बजट, दिनांक-28.03.2025 के आलोक में दिया जा रहा है। राशि की निकासी के संबंध में वित्तीय नियमावली, कोषागार संहिता के प्रावधानों एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों का अक्षरशः अनुपालन किया जाय।
5. आवंटित राशि का व्यय किसी भी परिस्थिति में अन्य मद में नहीं की जाय।

lrit

कृ०पृ०स०

6. उक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, संबंधित जिला के उपायुक्त अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी होंगे तथा राशि की निकासी संबंधित जिला के जिला कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी।
7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी खर्च का अभिश्रव संधारित करेंगे और व्यय का सत्यापन महालेखाकार कार्यालय से कराकर प्रतिवेदन राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के बजट शाखा को उपलब्ध करायेंगे।
8. राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर माँग संख्या 40 के अतिरिक्त इकाईवार विपत्र कोड 40S20290010101000109 का उल्लेख किया जाय तथा व्यय विवरणी टी.भी. नम्बर एवं तिथि के साथ विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।
9. आवंटित राशि की निकासी, हुए व्यय के अनुरूप प्रत्येक माह की जाय।
10. यदि आवंटित राशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष में नहीं किये जाने की संभावना हो तो अवशेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक-15.03.2026 तक अवश्य कर दिया जाय।
11. यह आवंटनादेश महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचित किया जाता है।

विश्वासभाजन,

Shree
21/7

(चन्द्रशेखर)

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-

47/अ/०

राँची, दिनांक- 23-07-2025

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/अपर समाहर्ता एवं जिला कोषागार

पदाधिकारी, गढ़वा एवं दुमका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Shree
21/7/XXV

सरकार के सचिव।

Shree



DRAFT COPY

आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

Revenue, Registration and Land Reforms Department (Revenue and Land R

चाहू वित्तीय वर्ष 2025-26 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

।

संचिका संख्या - 10/EST-27/2025

दिनांक -

क्रमांक	विपन्न कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 40 20290010101000109 2029 - भू-राजस्व 00 - भू-राजस्व 101 - संग्रहण प्रभार 01 - मानकी/मुण्डा/डाकुआ/प्रधान/ठीकेदार के लिए सम्मान 00-NA 01 - वेतन एवं भत्ते Establishment Expenditure State Scheme : NA Central Scheme : NA	44365	GRHLDR003 RAJ MAHESHWERAM A.C.GARHWA 09 - मानेदय	584,000.00 रुपये पाँच लाख चौरासी हजार
2	S 40 20290010101000109 2029 - भू-राजस्व 00 - भू-राजस्व 101 - संग्रहण प्रभार 01 - मानकी/मुण्डा/डाकुआ/प्रधान/ठीकेदार के लिए सम्मान 00-NA 01 - वेतन एवं भत्ते Establishment Expenditure State Scheme : NA Central Scheme : NA	44369	DMKDAD047 ABDUS SAMAD EST.DEPUTY COLLECTOR 09 - मानेदय	90,000,000.00 रुपये नौ करोड

योग: रुपये नौ करोड पाँच लाख चौरासी हजार

90,584,000.00

(CHANDRASHEKHAR)

SECRETARY